(31) (51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4381–दो/2012, विरूद्ध आदेश दिनांक 26–10–2012 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक सरवई तहसील गौरिहार जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 09/अ–12/2012–13

शकुन्तला पत्नी श्री प्रमोदकुमार
निवासी ग्राम सरवई तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

शिवप्रसाद पुत्र दुर्जा
निवासी ग्राम सरवई तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक आवेदक
श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/1/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व निरीक्षक सरवई गौरिहार जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नं0 2193/1/2 रकबा 1.584 है0 सरवई तहसील गौरिहार में स्थित है। अनावेदक द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन कराने बावत तहसील न्यायालय में राजस्व निरीक्षक सरवई के समक्ष आवेदन पेश किया । राजस्व निरीक्षक सरवई द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/ए–12/2012–13 दर्ज कर पारित आदेश दिनांक 26.10.2012 में सीमांकन स्वीकार किया जाकर आवेदिका की आपत्ति

निरस्त की गई । उक्त आदेश से असंतुष्ट एवं परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 2193/2 रकबा 2.225 हैक्टयर का अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदिका है । वादग्रस्त भूमि आवेदिका के पूर्वजों के स्वत्व स्वामित्व की है जिस पर वह वर्षों से काबिज होकर कृषि करते चले आ रहे है जबकि ख0नं0 2193/1/2 रकबा 1.584 हैक्टेयर भूमि शासकीय है जिसका पट्टा अनावेदक को मिला है । अनावेदक को उक्त भूमि का जिस स्थान पर सीमांकन कर मौके पर कब्जा दिया था उक्त स्थान को छोड़कर आवेदिका के स्वत्व की भूमि सीमांकन में नाप दी गई इस प्रकार आवेदिका के स्वत्व की भूमि अनावेदक को सीमांकन कार्यवाही में नापकर आवेदक का रकबा कम कर दिया गया है। सीमांकन कार्यवाही की जानकारी होने पर आवेदिका ने आपत्ति प्रस्तुत की थी लेकिन उक्त आपत्ति का विधिवत निराकरण किए बिना निरस्त कर दिया गया । तर्कों में यह भी कहा गया है कि उक्त सीमांकन कार्यवाही में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अनावेदक की कितनी भूमि आवेदक के कब्जे में है । इस प्रकार बिना किसी आधार एवं लेख किये नक्शे में जो संशोधन कर दिया है उसके अनुसार आवेदिका के स्वत्व व कब्जे की भूमि लगभग 5 बीघा भूमि अनावेदक के स्वत्व की बता दी गई । वादग्रस्त भूमि ख0नं0 2193/2 रकबा 2.225 हैक्टयर की भूमिस्वामी आवेदिका है, लेकिन मौके पर रकबा कम है । उस स्थिति में उक्त सीमांकन कार्यवाही में आवेदिका के कब्जे से किस आधार पर अनावेदक की भूमि बता दी गई । अनावेदक के पास एवं उसके परिवार के पास पूर्व से ही काफी भूमि है ऐसी स्थिति में उसे पट्टा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था । जिस स्थान पर पट्टा दिया था उस स्थान का सीमांकन कर पूर्व में ही अनावेदक को मौके पर कब्जा दिया था । वर्तमान सीमांकन में आवेदिका की लगभग 5 बीघा भूमि निकालकर अनावेदक के स्वत्व की बताना अपने आप में ही संदेहस्पद प्रमाणित करता है । अनावेदक ने आवेदिका के स्वत्व की भूकिम को अपने कब्जे में दर्शाकर नक्शा तर्मीम करा लिया उक्त अवैध नक्शा तर्मीम को आधार बनाकर उक्त अवैध सीमांकन करा लिय इस प्रकार उक्त त्रुटिपूर्ण नक्शा तर्मीम के आधार पर आवेदिका के स्वत्व व कब्जे की भूमि अनावेदक की बता दी गई जबकि अनावेदक अपने पट्टे की भूमि पर काबिज है । सीमांकन राजस्व निरीक्ष एवं हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर किया जाता है एवं जिस दिनांक को सीमांकन किया जाना

है उसके पूर्व ग्राम में उक्त सीमांकन की जाने वाली भूमि के सभी पड़ोसी काश्तकारों को सूचना दी जाती है जबकि उक्त प्रकरण में न तो मौके पर राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन किया न ही हल्का पटवारी को शामिल किया न ही पड़ोसी काश्तकारों को सूचना दी । इस प्रकार सीमांकन कार्यवाही विधिवत संपादित होने के पश्चात तहसीलदार उक्त सीमांकन की पुष्टि करते है जबकि उक्त प्रकरण में राजस्व निरीक्षक ने स्वयं ही अपने सीमांकन की पुष्टि कर दी । अनावेदक की भूमि का सीमांकन किये जाने पर यदि पाया गया था कि उसका राजस्व अभिलेख में दर्ज रकबे से मौके पर कम है तब उस स्थिति में उक्त रकबे की पूर्ति आवेदक के स्वत्व की भूमि में से किस आधार पर कर दी । अनावेदक के रकबा कम पाये जाने पर आवेदक के स्वत्व की भूमि का भी साथ में ही सीमांकन किया जाना था जिससे यह प्रमाणित होता है कि जितने रकबे का आवेदिका स्वत्व अभिलेख में भूमि स्वामी दर्ज है उतने रकबे से अधिक भूमि उसके कब्जे में है अथवा नहीं । जब आवेदिका के कब्जे में पूर्व से ही कम भूमि है तब उस स्थिति में आवेदिका की भूमि नापकर अनावेदक की कब्जे की बताकर आवेदिका का रकबा कम कर दिया गया है । अंत में आवेदिका के अभिभाषक द्वारा राजस्व निरीक्षक सरवई, गौरिहार द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश को विधिनुकूल बताते हुये, उक्त पारित आदेश दिनांक 26.10.2012 स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन पर आवेदिका ने आपत्ति ली थी कि उक्त सीमांकन स्थायी सीमा चिन्ह को आधार बनाकर नहीं किया गया । अभिलेख के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि आवेदिका की उक्त आपत्ति सही है । सीमांकन आस–पास के खेतों की मेड़ को आधार मानकर किया गया है । आवेदिका की इस आपत्ति का कोई संतोषजनक उत्तर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदिका की आपत्ति निरस्त करते समय नहीं दिया है ।

6/ फलतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है । प्रकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह पुनः स्थायी सीमा चिन्ह को आधार बनाकर सभी पक्षों की उपस्थिति में स्वयं सीमांकन की कार्यवाही सम्पादित करावें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर